

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/युगलपीठ/938/2026 दि0 लखनऊ: 24 अगस्त, 2026

-:: संशोधित आदेश ::-

मुख्यालय के संशोधित आदेशांक-922/2026 दिनांक 17.08.2026 के द्वारा माह अगस्त, 2026 में जनपद कानपुर में युगलपीठ का गठन दिनांक 24.08.2026 से 25.08.2026 तक किया गया था। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-बरेली नामित किया गया है।

सदस्य, पीठ-बरेली ने पत्र संख्या-217 दिनांक 22.08.2026 द्वारा अपनी पत्नी के टायफाईड ज्वर से पीड़ित होने एवं उनकी देख-भाल करने वाला उनके अलावा कोई न होने के कारण उपरोक्त खण्डपीठ को संशोधित/निरस्त करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार करते हुए, पूर्व निर्गत युगल पीठ गठन संशोधित आदेश संख्या-922/2026 दिनांक 17.08.2026 द्वारा जनपद कानपुर में दिनांक 24.08.2026 से 25.08.2026 तक गठित युगलपीठ को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/24.08.2026

(रमेश चन्द-1)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/938/2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2, 3 व 4, कानपुर।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-बरेली।
- 3- वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/वेब अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,



(वीरेन्द्र कुमार)

निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।